

फूलचन्द बनाम नगर पालिका नागौर

केसम् मुकदमा / निगरानी / नगर पालिका एक्ट / 73(2) / 196 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगर. अभि. श्री राकेश अरोड़ा गैर निग. 3 श्री जी.एस. लखावत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03.08.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता स्वयं जरिये अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा व गैर निगरानीकर्ता अभिभाषक उपस्थित। निगरानीकर्ता का निगरानी विद्धो किये जाने के प्रार्थना पत्र मय फोटो व पहचान पत्र की प्रति सहित पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रकरण में बहस हेतु नियत है। निगरानीकर्ता अभि. को अपील विद्धो प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विद्धो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उक्त निगरानी प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने लोगो के बहकावे में आकर प्रस्तुत कर दी। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को प्रकरण में वास्तविक सही जानकारी पता चली कि जिस आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिये प्रार्थी/निगरानीकर्ता उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्धो खारिज करवाना चाहता है। अतः उक्त निगरानी को आगे नहीं चलाये जाने से इसी स्तर पर विद्धो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता स्वयं ही अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं बताकर प्रस्तुत निगरानी को आगे नहीं चलाकर विद्धो खारिज करवाना चाहते है जिससे न्यायहित में विद्धो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता अभिभाषक का निगरानी विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्धो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>Full Case 30/8/2021 Rakesh Arora Rakesh Arora</p>

(डॉ. वीना प्रधान)  
संभागीय आयुक्त,  
अजमेर